



2026:AHC:125267

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या – 17406 वर्ष 2026

अशोक कुमार

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... आवेदक(गण)

..... विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: स्वाति अग्रवाल श्रीवास्तव

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 5

माननीय जितेंद्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति

1. आवेदक की विद्वान अधिवक्ता सुश्री स्वाति अग्रवाल श्रीवास्तव की ओर से बेहस कर रहे अधिवक्ता श्री अमित कुमार, और राज्य-प्रतिवादी की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री जी.पी. सिंह को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. प्रस्तुत जमानत आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत आवेदक की ओर से दाखिल किया गया है, जिसमें विचारण के लंबित रहने के दौरान साइबर क्राइम थाना, जिला बदायूँ में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 01 वर्ष 2025, अंतर्गत धारा 318(4), 111(2B), 3(5) बी.एन.एस. और 66C, 66D आई.टी. अधिनियम में उसे जमानत पर अवमुक्त करने की प्रार्थना की गई है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि इसी घटना के संबंध में दो प्रथम सूचना आख्या दर्ज की गई थीं—एक उच्च न्यायालय के निर्देश पर और दूसरी सी.जे.एम., बदायूँ के निर्देश पर। आगे यह दलील दी गई कि आवेदक को उच्च न्यायालय के निर्देश पर दर्ज एफआईआर मुकदमा अपराध संख्या 05 वर्ष 2025 में इस न्यायालय की एक समवर्ती पीठ द्वारा जमानत दी जा चुकी है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक के बैंक खाते में किसी भी प्रकार के धन के लेन-देन की बात सामने नहीं आई है और उसका नाम सह-आरोपी आकाश वर्मा के संस्वीकृति कथन में सामने आया है। आगे यह दलील दी गई कि किसी अज्ञात कॉलर ने सी.जे.एम., बदायूँ को फोन किया था और खुद को उच्च न्यायालय का वर्तमान न्यायाधीश बताते हुए कहा कि उसे पैसों की जरूरत है, इसलिए उसके बैंक खाते में कुछ राशि स्थानांतरित कर दी जाए। इस पर सी.जे.एम. को संदेह हुआ और उन्होंने उच्च न्यायालय से पूछताछ की, जिससे यह पता चला कि उच्च न्यायालय के किसी भी वर्तमान न्यायाधीश द्वारा ऐसा कोई फोन नहीं किया गया था। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 13.03.2025 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का कड़ा विरोध किया है।

5. एफआईआर के अनुसार, किसी अज्ञात कॉलर ने सी.जे.एम., बदायूँ को फोन कर खुद को उच्च न्यायालय का वर्तमान न्यायाधीश बताते हुए और पैसों की जरूरत को हवाला देते हुए अपने बैंक खाते में कुछ राशि अंतरित करने को कहा था। इस पर सी.जे.एम. बदायूँ ने उच्च न्यायालय से पूछताछ की और पाया गया कि किसी भी वर्तमान न्यायाधीश द्वारा ऐसा कोई फोन नहीं किया गया था। जांच के दौरान, आकाश वर्मा के संस्वीकृति कथन में आवेदक का नाम सामने आया। आवेदक के बैंक खाते में कोई मौद्रिक लेन-देन नहीं हुआ है, और वह 13.03.2025 से जेल में है।

6. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करते हुए और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, आरोपी की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए, तथा जेलों में अत्यधिक भीड़ और अवर न्यायालयों के समक्ष आपराधिक मामलों के भारी लैबन को ध्यान में रखते हुए, साथ ही जमानत देने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2025 एससीसी आनलाइन एससी 3038 में प्रकाशित कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो के मामले में दिए गए निर्णय के समादेश और 2024 एससीसी आनलाइन इला. 6765 में प्रकाशित माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में इस न्यायालय के दिशानिर्देशों पर विचार करते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा यह मत है कि आवेदक जमानत पर अवमुक्त होने का हकदार है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



7. तदनुसार, प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार किया जाता है।

8. उपरोक्त अपराध में शामिल आवेदक अशोक कुमार को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, एक व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर अवमुक्त कर दिया जाए:

- (i) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से रोका जा सके, और न ही साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा।
- (ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।
- (iii) जमानत पर अवमुक्त होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी अपराध को अंजाम देने में लिप्त नहीं होगा।
- (iv) आवेदक उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार न्यायालय में उपस्थित होगा।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

10. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और प्रतिभूओं की पहचान, स्थिति और निवास के प्रमाण का सत्यापन किया जाए। आवेदक के साथ-साथ प्रतिभूओं के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन भी संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

11. यह भी निर्देशित किया जाता है कि आवेदक की शोध अवमुक्ति सुनिश्चित करने के लिए अवर न्यायालय अवमुक्ति आदेश को बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को भेजेगा।

12. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा (2024) 10 एससीसी 685 में प्रकाशित पॉलिसी स्टेटजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल, इन री: सुओ मोटो रिट पिटीशन (आपराधिक) नंबर 4 ऑफ 2021 निर्णय दिनांक 31.01.2023, के मामलों में दिए गए आदेश के अनुपालन में, इस आदेश की एक प्रति 24 घंटे के भीतर संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ईमेल या ई-प्रिजन पोर्टल द्वारा आवेदक को भेजे।

4 जून, 2026

मधुरिमा

(जितेंद्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

डिजिटल हस्ताक्षरित:

मधुरिमा गर्ग

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"